संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय, म0प्र0 भोपाल

क्रमांक / 1777 / आ.पुरा. / मॉड / 2017 भोपाल दिनांक 28-8-17

निविदा आमंत्रण सूचना

संचालनालय द्वारा पुरातत्ववीय कलाकृतियों की प्लास्टर प्रतिकृतियाँ तैयार करने से संबंधित सामग्री क्रय के लिये मुहरबंद निविदाएँ निविदा फार्म 'C' पर आमंत्रित की जाती है। मुहरबंद निविदाएँ दिनांक 08.09.2017 को अपरान्ह 03:00 बजे तक प्राप्त की जावेगी तथा निविदाएँ उसी दिनांक को 4:00 बजे उपस्थित निविदाकर्ताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष निर्णायक समिति द्वारा खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र सामग्री की सूची एवं निविदा प्रस्तुत करने संबंधी दिशा–निर्देश कार्यालय से कार्यालय समय में दिनांक 08.09.2017 को अपरान्ह 2:00 तक आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त की जा सकेगी। यदि किसी कारणवश उक्त दिनांक को अवकाश घोषित किया जाता है तो निविदा प्रस्तुत करने एवं खोलने की कार्यवाही आगामी कार्यदिवस में की जावेगी। यह निविदा सूचना एन.आई.सी. की वेबसाइट www.tenders.gov.in एवं विभागीय वेबसाईट www.archaeology.mp.gov.in पर भी देखी जा सकती है।

क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि (लाख में)	प्रतिभूति राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	सामग्री प्रदाय करने की अवधि
1.	पुरातत्ववीय कलाकृतियों की प्रतिकृतियां तैयार करने से संबंधित कच्ची सामग्री एवं अन्य सामग्री का क्रय।	4,15,443=00	8000=00	1000=00	10 दिवस

निविदा प्रस्तुत करने संबंधी दिशा–निर्देश :–

1. निविदाकर्ताओं को निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के लिए लिखित आवेदन के साथ प्रतिष्ठान का पंजीयन व पेन नम्बर का क्रमांक एवं जीएसटीएन नं. आदि पार्टनरशिप में हो तो डीड के प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रस्तुत करने पर ही निविदा प्रपत्र प्रदाय किये जाएंगे।
2. निविदा की दरें कार्यालय द्वारा दिये गये निर्धारित प्रपत्र में भरकर देनी होगी।
3. प्रपत्र निविदा में उल्लेखित निर्माता कम्पनी की मूल्य सूची अंकित दरों से अधिक नहीं होनी चाहिये।
4. निविदाकर्ताओं द्वारा प्रतिभूति की राशि आहरण संवितरण अधिकारी, पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय के नाम से बैंक ड्राफ्ट / एफ.डी. के द्वारा अलग लिफाफें में जमा करना अनिवार्य है।
5. निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न सामग्री सूची प्रपत्र पर राशि स्याही से स्पष्ट रुप से शब्दों एवं अंकों में अंकित की जानी चाहिये।
6. समय–सीमा में सामग्री प्रदाय न करने की स्थिति में फर्म क्षतिपूर्ति की स्वयं उत्तरदायी होगी। सामग्री प्रदाय के लिए अग्रिम देय नहीं होगा।
7. सामग्री क्रय आदेश में उल्लेखित कंपनी की न होने पर किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जावेगी।
8. निविदा प्राप्त करने के दिनांक से दिनांक 31.03.2018 तक वैध रहेगी।
9. किसी अथवा समस्त निविदाओं को आंशिक या पूर्ण रुप से बिना कोई कारण बताये स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकारी सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
10. प्रकरण में उत्पन्न किसी भी प्रकार के वाद–विवाद के लिए न्यायालय क्षेत्र भोपाल रहेगा।
11. शेड्यूल में दर्शायी गई समस्त सामग्री की क्रय मात्रा में आवश्यकता अनुसार कमी या बढ़त की जा सकेगी।
12. सशर्त निविदा मान्य नहीं की जाएगी।

प्रभारी अधिकारी मॉडलिंग शाखा
पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय
मध्यप्रदेश भोपाल